

संपादकीय



बचाएं बचपन

बच्चों पर सोशल मीडिया की स्वच्छंदता से पड़ने वाले घातक प्रभावों को लेकर भारतीय अभिभावक, शिक्षक व समाजविज्ञानी लंबे अरसे से गंभीर चिंता जताते रहे हैं। यह प्रभाव कितना भयावह व घातक है, ये बात पश्चिमी देशों की सरकारों, समाज व अदालतों को अब समझ में आई है। बच्चे समय से पहले परिपक्व हो रहे हैं। किशोरों की यौन हिंसा और वयस्कों जैसे अपराधों में संलिप्तता, इसके घातक प्रभावों की बानगी है। सोशल मीडिया पर बच्चों की नजर से ऐसे वीडियो गुजरते हैं, जिसमें स्वच्छंद यौन व्यवहार होता है। कुछ लोग व कंपनियां मुनाफे के लिए ऐसे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति में पवित्र माने जाने वाले पारिवारिक रिश्तों, गुरु-शिष्य संबंधों और डॉक्टर मरीज के रिश्तों के वर्जित क्षेत्रों का अतिक्रमण करते नजर आते हैं। अंदाजा लगाना कठिन नहीं है कि कोरी स्लेट जैसे बालमन पर इसका कितना घातक असर पड़ता होगा ? उसे पवित्र रिश्तों की दरकिनार और यौन-स्वच्छंद तथा गंभीर अपराध आम नजर आने लगते हैं। अमेरिका तथा कुछ अन्य विकसित देशों के स्कूलों में दना-दन गोलियां चलाते बच्चे इंटरनेट पर प्रसारित घातक सामग्री देखने से उपजी सनक की ही देन है। निस्संदेह, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा हेतु डिजिटल दुनिया को साफ-सुथरा रखने की जरूरत है। यही वजह है कि एक अमेरिकी अदालत ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की मातृ संस्था मेटा पर 5,390 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना ज्यादा नहीं है क्योंकि पिछले साल कंपनी ने साठ अरब डॉलर का मुनाफा कमाया। दरअसल, मेटा पर जुर्माना लगाने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि अदालत ने कंपनी को बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिये अपने प्लेटफॉर्म में बदलाव करने को कहा है। दरअसल, न्यू मैक्सिको की अदालत ने स्वीकारा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिये घातक हैं। उल्लेखनीय है कि अमेरिका के कई राज्यों में सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ मुकदमें चल रहे हैं। फ्रांस व आस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया पर सक्रियता को लेकर बच्चों की उम्र की सीमा तय की गई है। हकीकत यह है कि कंपनी ने ये प्लेटफॉर्म अपने मुनाफे के लिये इस तरह तैयार किए हैं ताकि बच्चों को इसकी लत लग जाए। पिछले दिनों भारत सरकार ने मेटा के अधिकारियों को बुलाकर विरोध जताया था कि उसके एक प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े विज्ञापन भारी मुनाफा कमाकर प्रसारित किए गए। अमेरिकी अदालत ने भी माना है कि मेटा के प्लेटफॉर्म बच्चों को यौन शोषण से बचाने में विफल रहे हैं। यही वजह कि कोर्ट ने लगाए गए जुर्माने की राशि का एक भाग ऐसे पीड़ितों को मुआवजे के तौर पर देने के आदेश दिए हैं। समय आ गया है कि सोशल मीडिया कंपनियों को सामाजिक जवाबदेही के लिये बाध्य किया जाए। लेकिन यह नहीं हो कि अमेरिका के बच्चों के लिये अलग कानून और विकासशील व गरीब मुल्कों के बच्चों के लिये अलग कानून हो। हमारी सरकारों को भी इन सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर गैर-कानूनी सामग्री प्रसारित करने के खिलाफ सख्त रवैया अपनाना होगा।

रोजाना करें भेकासन, शरीर में आएगी नई ऊर्जा और लचीलापन



आधुनिक जीवनशैली में सुकून और ताजगी की तलाश के लिए योग से बेहतर और कोई उपाय नहीं हो सकता है। योगासन पद्धति में भेकासन एक ऐसा आसन है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर बताया गया है। भेकासन संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। भेक का अर्थ मेंढक होता है, जबकि आसन का अर्थ मुद्रा होता है। इस आसन को करने के दौरान शरीर की मुद्रा कुछ-कुछ मेंढक के समान होती है, जिस वजह से इसे मेंढक आसन भी कहते हैं। भेकासन में पीठ को पीछे की तरफ मोड़कर स्ट्रेच किया जाता है। इसे करने के लिए शरीर के मध्य हिस्से की रीढ़ की हड्डी में काफी लचीलापन और ताकत चाहिए। इसके निरंतर अभ्यास से एडियां, घुटने और टखने मजबूत होते हैं। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने भी इस आसन को लेकर अपनी राय दी है। उनके अनुसार, भेकासन करने से रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है, जिससे चलने-फिरने में आसानी होती है और शरीर हल्का महसूस होता है। इस आसन से शरीर के कई हिस्सों की मांसपेशियों को फायदा होता है। खासकर पीठ के निचले हिस्से, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, पेट की मांसपेशियां, पैर, टखने,

घुटने और जांघों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इस आसन को करने से मांसपेशियों में खिंचाव आता है और धीरे-धीरे उनकी ताकत बढ़ती है, जिससे शरीर ज्यादा फुर्तीला और मजबूत बनता है। भेकासन मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने में काफी असरदार माना जाता है। इसे करने से शरीर के कई हिस्सों पर दबाव पड़ता है, जिससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं और उनकी ताकत धीरे-धीरे बढ़ने लगती है। खासकर हाथ, पैर, पीठ और पेट की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। रोजाना अभ्यास से शरीर में एक अलग ही मजबूती का एहसास होता है।

भेकासन करने के लिए सबसे पहले आराम से पेट के बल जमीन पर लेट जाए। अब धीरे-धीरे अपने घुटनों को मोड़ें और पैरों को पीछे की ओर लेकर सिर के करीब लाने की कोशिश करें। दोनों हाथों से अपने टखनों या पैरों को पकड़ लें। ध्यान रखें कि छाती जमीन से लगी रहे और सांस सहज बनी रहे। इस स्थिति में कुछ सेकंड तक टिक रहें, फिर धीरे-धीरे पैरों को खोलकर आराम करें। कलाई या कोहनी में दर्द हो तो न करें। उच्च रक्तचाप के रोगी इसे न करें या फिर किसी स्पेशलिस्ट की सलाह पर ही करें।

देश की सरकारों के पास हर समस्या का एक लाइलाज रामबाण इलाज यह है कि किसी समस्या की गहराई के उपचार के बजाए कानून बना दिया जाए। सरकारों हर समस्या का इलाज व्यवहारिक धरातल पर नहीं बल्कि कानून में ढूंढने की आदी हो चुकी हैं। देश में हर क्षेत्र में एक के बाद एक नए कानून बनाए जा रहे हैं, किन्तु समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जितने भी नए कानून बनाए जा रहे हैं, या पुराने कानूनों में संशोधन किया जा रहा, उसका सारा भार देश के आम लोगों पर ही डाला जा रहा है। इन कानूनों में कहीं लापरवाही बरतने या अनदेखी के लिए देश के आला अफसर जिम्मेदार नहीं हैं। आजादी से लेकर आज तक ऐसा कोई कानून केंद्र या किसी राज्य ने नहीं बनाया है कि यदि कोई घटना—दुर्घटना या कांड होगा तो उसके लिए सीधे अफसर भी जिम्मेदार माने जाएंगे। संशोधित केंद्रीय पेपर लोक कानून में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा होगी। अधिकतम जुर्माना 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है। संगठित अपराधों में 7 से 10 वर्ष तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पेपर लोक का नया केंद्रीय कानून बनाने के बावजूद झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) परीक्षा में पेपर लोक और अनियमितताएं हुईं। इस मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जेपीएससी के प्रश्नमैत्र एल. खियांगटे ने इस्तीफा भी दे दिया। केंद्र सरकार के बनाए पेपर लोक परीक्षा कानून देश में एक अगस्त से अस्तित्व में आ चुका है। इसके बावजूद देश में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लोक मामले थम नहीं रहे हैं। राजस्थान में अप्रैल 2022 में एंटी पेपर लोक एन्ट लाफू किया गया। गुजरात में मार्च 2023 से सख्त नकल और पेपर लोक



विरोधी कानून लागू। उत्तराखंड में वर्ष 2023 में प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश/कानून लागू किया गया। झारखंड में वर्ष 2023 में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए अधिनियम बनाया गया। हरियाणा में सितंबर 2021 से प्रभावी कानून लागू है। इसी तरह असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में भी अलग-अलग वर्षों में इससे जुड़े कड़े कानूनी प्रावधान या अधिनियम बनाए जा चुके हैं। केंद्र और इतने राज्यों में पेपर लोक कानून के बाद भी पेपर लोक की घटनाएं थम नहीं रही है। पेपर लोक की तरह देश में बलात्कार के मामलों में बेहद कठोर कानून बनाए गए थे। बलात्कार और इसके साथ हत्या के मामलों में फांसी तक का प्रावधान किया गया है। 2012 में दिल्ली में एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के दोषी चार भारतीय पुरुषों को फांसी दे दी गई थी। निर्भया बलात्कार हत्याकांड से लोगों में आक्रोश फैल गया था और भारत में बलात्कार विरोधी नए कानून बनाए गए। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के बलात्कार में मृत्युदंड का

प्रावधान किया गया। गैंग रेप में न्यूनतम सजा 20 साल से आजीवन की गई। इतने कठोर कानून के लागू होने के बावजूद देश में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए अधिनियम बनाया गया। हरियाणा में सितंबर 2021 से प्रभावी कानून लागू है। इसी तरह असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में भी अलग-अलग वर्षों में इससे जुड़े कड़े कानूनी प्रावधान या अधिनियम बनाए जा चुके हैं। केंद्र और इतने राज्यों में पेपर लोक कानून के बाद भी पेपर लोक की घटनाएं थम नहीं रही है। पेपर लोक की तरह देश में बलात्कार के मामलों में बेहद कठोर कानून बनाए गए थे। बलात्कार और इसके साथ हत्या के मामलों में फांसी तक का प्रावधान किया गया है। 2012 में दिल्ली में एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के दोषी चार भारतीय पुरुषों को फांसी दे दी गई थी। निर्भया बलात्कार हत्याकांड से लोगों में आक्रोश फैल गया था और भारत में बलात्कार विरोधी नए कानून बनाए गए। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के बलात्कार में मृत्युदंड का

स्वाध्याय देता है सम्यक् समझ की अंतर्दृष्टि



व्यक्ति की सामान्य वृत्ति बहिर्मुखी रहती है और समाज का चलन भी उसे इसी दिशा में प्रेरित—प्रवाहित रखता है। स्वयं को समझने के लिए जिस प्रकाश की आवश्यकता रहती है, वह अंतर्मुखी मन के साथ ही उपलब्ध हो पाता है। इसके लिए टिककर कुछ पल ठहरने और अंदर निहारने की आवश्यकता होती है। अंतःकरण के कोने-कातर में छिपे दोष-दुर्गुणों, आदतों-संस्कारों का अवलोकन करना पड़ता है। अपनी सामान्य बुद्धि एवं समझ के आधार पर भी इसे किया जा सकता है। लेकिन जिस गहराई एवं व्यापकता में इस अंतःअवलोकन एवं आत्मविश्लेषण की आवश्यकता रहती है, वह मात्र स्वयं की बौद्धिक समझ के आधार पर सम्यक रूप में संभव नहीं हो पाती। जबकि स्वाध्याय के प्रकाश में यह कार्य सहज एवं प्रभावी ढंग से संपन्न हो जाता है।स्वाध्याय का अर्थ है सदृश्यों के प्रकाश में स्वयं का अध्ययन। स्वयं का अध्ययन तो मनोविज्ञान भी करता है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। यह अचेतन मन की अंधेरी परतों के पार प्रकाश नहीं डाल पाता, क्योंकि अभी तक आधुनिक मनोविज्ञान का स्वरूप पूरी तरह से प्रकाशित नहीं है। यह अचेतन या अवचेतन मन की सीमाओं में ही जीवन को परिभाषित करता है। इन्हीं सीमाओं में जीवन के समाधान प्रस्तुत करता है, जो अंतरात्मा को संतुष्ट नहीं कर पाते। वहीं ऋषियों द्वारा, प्राज्ञ पुरुषों द्वारा रचित साहित्य अचेतन मन की प्रकाशित करने वाले

प्रकाश-स्रोत की ओर संकेत करता है, उससे परिचय करवाता है। इसे जीवन में धारण करने का मार्गदर्शन प्रदान करता है।ऐसे आध्यात्मिक साहित्य के अध्ययन, पारायण एवं चिंतन-मनन के साथ वह अंतर्दृष्टि विकसित होती है, जो जीवन की सम्यक समझ को विकसित करती है। इसके विभिन्न आयामों से परिचय करवाती है। व्यक्तित्व के चेतन, अचेतन एवं संचालन—सभी पक्ष इसके अवलोकन के दायरे में आ जाते हैं। स्वाध्याय के साथ आत्मचिंतन करते हुए व्यक्ति अंतरमन के गहनतर स्तर पर स्वयं का विश्लेषण कर पाता है। इसी सुधार एवं परिष्कार का प्रक्रिया गहनतम स्तर पर संभव हो पाती है। सही सोच के साथ लिए गए ये निर्णय भविष्य में भटकता रहता है। धन, सत्ता, ऐश्वर्य एवं सुख-भोग में जीवन के आदि और अंत को तलाशता है और जीवन में सुख, शांति व

आनंद की कामना करता है, जो मृगतुष्णा ही साबित होते हैं। बल्कि जीवन तनाव, अवसाद एवं हताशा-निराशा के अंधेरे में खो जाने के लिए अभिशप्त होता है। पश्चाताप एवं चिंतन-मनन के साथ वह अंतर्दृष्टि व्यक्ति को इस त्रासदी से बचाता है, उबारता है। वह समझ पैदा करता है, जिसके आधार पर व्यक्ति अपने जीवन की कामना अपने हाथों में लेता है और जीवन की चरम संभावनाओं की ओर अग्रसर होता है। कोई भी पुस्तक पढ़ने से स्वाध्याय का प्रयोग पूरा नहीं हो जाता। इसके लिए आध्यात्मिक रूप से प्रकाशित महापुरुषों, मानवीय चेतना के मर्मज्ञ ऋषियों द्वारा रचित ग्रंथों का पारायण सर्वश्रेष्ठ रहता है, जो मानवीय मन एवं व्यक्तित्व की सभी परतों को समझने और इनके पार जाने का मार्ग सुझाते हों। अपने बाल और सिर की त्वचा की जरूरत के हिसाब से शैम्पू करना बेहतर है। शैम्पू

झारखंड में वर्ष 2023 में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए अधिनियम बनाया गया। हरियाणा में सितंबर 2021 से प्रभावी कानून लागू है। इसी तरह असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में भी अलग-अलग वर्षों में इससे जुड़े कड़े कानूनी प्रावधान या अधिनियम बनाए जा चुके हैं। केंद्र और इतने राज्यों में पेपर लोक कानून के बाद भी पेपर लोक की घटनाएं थम नहीं रही है। पेपर लोक की तरह देश में बलात्कार के मामलों में बेहद कठोर कानून बनाए गए थे। बलात्कार और इसके साथ हत्या के मामलों में फांसी तक का प्रावधान किया गया है। 2012 में दिल्ली में एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के दोषी चार भारतीय पुरुषों को फांसी दे दी गई थी। निर्भया बलात्कार हत्याकांड से लोगों में आक्रोश फैल गया था और भारत में बलात्कार विरोधी नए कानून बनाए गए। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के बलात्कार में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। गैंग रेप में न्यूनतम सजा 20 साल से आजीवन की गई। इतने कठोर कानून के लागू होने के बावजूद देश में बलात्कार—हत्या के मामले बढ़ते चले गए।

व्यवसायिक भवन में अग्नि दुर्घटना होती है तो इसके निगरानी करने वाले अफसर जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, ऐसा कोई कानून नहीं बना है। यही प्रमुख वजह है कि चाहे पेपर लोक हों या किसी तरह का बड़ा हादसा, कानूनों को सख्त कर दिया जाता है, किन्तु जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं की जाती। इसका बड़ा उदाहरण मेलों, धार्मिक स्थलों पर होने वाले आयोजनों में भगदड़ के दौरान होने वाली मौतें हैं। ऐसा शायद ही कोई साल जाता होगा, जब ऐसे हादसे नहीं होते होंगे। ऐसे हादसों में अब तक देश भर में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद अफसरों की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया कि ऐसे आयोजनों में हादसों के लिए सीधे अफसर जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलेगा और उन्हें जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। अफसरों की लापरवाही से हुए हादसों और इससे बच निकलने का बड़ा उदाहरण राजस्थान का है। जहां दो साल पहले स्कूल की छत गिरने से 10 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई, इसके बाद भी स्कूल की छत गिरने या दीवार गिरने

के हादसे होते रहे, किन्तु एक भी अफसर को आपराधिक आरोपी नहीं माना गया। किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पुलिस ने आईएएस अफसर तो दूर बल्कि शिक्षा विभाग के किसी अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। राजस्थान सहित देश के लाखों सरकारी स्कूलों की इमारतों की हालत खस्ता है। सरकारों के पास इतना बजट ही नहीं है कि इतना रखरखाव किया जा सके। यह निश्चित है कि चुनी हुई सरकारें लंबे असें तक देश के लोगों को आंखों में धूल नहीं झाँक सकती, उन्हें कानून बनाने के साथ ही धरातल पर समस्याओं का समाधान ढूँढना होगा। देश में बुनियादी सुविधाओं की पहुंच आम नागरिकों तक बड़ानी होगी। इसकी कमी से हर साल बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल के अभाव जैसे मुद्दों पर धरने, प्रदर्शन, आंदोलन होते हैं, किन्तु इनका स्थायी समाधान नहीं होता। सरकारों की हालत 'खेत खाए गदहा और मार खाए जुलहा' जैसी है। जब तक सरकारें और जिम्मेदार अफसर अपनी जिम्मेदारी से भागते रहेंगे। ऐसी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बेशक कितने भी नए कानून बन जाएं।

लेकिन जिस गहराई एवं व्यापकता में इस अंतःअवलोकन एवं आत्मविश्लेषण की आवश्यकता रहती है, वह मात्र स्वयं की बौद्धिक समझ के आधार पर सयक रूप में संभव नहीं हो पाती। जबकि स्वाध्याय के प्रकाश में यह कार्य सहज एवं प्रभावी ढंग से संपन्न हो जाता है।स्वाध्याय का अर्थ है सदृश्यों के प्रकाश में स्वयं का अध्ययन। स्वयं का अध्ययन तो मनोविज्ञान भी करता है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। यह अचेतन मन की अंधेरी परतों के पार प्रकाश नहीं डाल पाता, क्योंकि अभी तक आधुनिक मनोविज्ञान का स्वरूप पूरी तरह से प्रकाशित नहीं है। यह अचेतन या अवचेतन मन की सीमाओं में ही जीवन को परिभाषित करता है। इन्हीं सीमाओं में जीवन के समाधान प्रस्तुत करता है, जो अंतरात्मा को संतुष्ट नहीं कर पाते। वहीं ऋषियों द्वारा, प्राज्ञ पुरुषों द्वारा रचित साहित्य अचेतन को भी प्रकाशित करने वाले प्रकाश-स्रोत की ओर संकेत करता है, उससे परिचय करवाता है।

पारायण अपेक्षित रहता है। ईमानदारी से जिन्होंने अपने जीवन को बदलने के सफल प्रयास किए हों, उनकी पुस्तकें हमें पथ की बारिकियों से परिचित करवाने में बहुत सहायक रहती हैं। प्रश्न उठता है कि स्वाध्याय कब व कैसे करें। स्वाध्याय प्रभावशाली हो, इसके लिए एक सार्वकालिक अनुभूत विधि है कि प्रातः जब स्नान के बाद ध्यान या आत्मचिंतन के लिए बैठते हों, उस समय स्वाध्याय का प्रयोग करें। इस समय मन स्वतः ही शांत, स्थिर, एकाग्र एवं ग्रहणशील अवस्था में होता है। अपने सामान्य ध्यान—पूजन के बाद चयनित पुस्तक का एक पन्ना,

पाया। स्वाध्याय के साथ चिंतन-मनन एवं आत्म-अवलोकन का यह प्रयोग क्रमशः एक अंतर्दृष्टि विकसित करेगा। स्वाध्याय से संगृहीत विचार, एक सेना के रूप में आपके सहयोग रहती हैं। प्रश्न उठता है कि स्वाध्याय कब व कैसे करें। स्वाध्याय प्रभावशाली हो, इसके लिए एक सार्वकालिक अनुभूत विधि है कि प्रातः जब स्नान के बाद ध्यान या आत्मचिंतन के लिए बैठते हों, उस समय स्वाध्याय का प्रयोग करें। इस समय मन स्वतः ही शांत, स्थिर, एकाग्र एवं ग्रहणशील अवस्था में होता है। अपने सामान्य ध्यान—पूजन के बाद चयनित पुस्तक का एक पन्ना,



लगाते समय एक और बात ध्यान रखें। इसे मुख्य रूप से सिर की त्वचा पर लगाकर सफाई करनी चाहिए। बालों की पूरी लंबाई को जोर-जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं होती। शैम्पू का झाग बालों की लंबाई तक पहुंचकर उसे साफ करता है। अगर बाल धोने के बाद बहुत सूखे या उलझे हुए लगते हैं, तो हल्का शैम्पू और अच्छा कंडीशनर मददगार हो सकता है। कंडीशनर घुंघराले बालों के लिए काफी काम की चीज है। कंडीशनर बालों की सतह को चिकना बनाने में मदद करता है। इससे बाल आपस में कम उलझते हैं और कंधी हो सकता है। शोध के मुताबिक, कंडीशनर बालों के बीच होने वाली रगड़ को कम करता है, जिससे बालों को सुलझाते

समय होने वाले नुकसान भी कम होते हैं। इसलिए शैम्पू के बाद बालों की लंबाई और सिरों पर कंडीशनर लगाना फायदेमंद हो सकता है। बालों को सुखाना का तरीका बहुत मायने रखता है। नहाने के बाद तौलिये से बालों को जोर से रगड़ने के बजाय हल्के हाथ से पानी सोखें। गीले बालों को खींचकर कंधी करने से भी बचना चाहिए। घुंघराले बालों में बार-बार खिंचाव और रगड़ से टूटने का खतरा बढ़ता है। बालों को मुलायम रखने के लिए हेयर सीरम या लीव-इन कंडीशनर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खासकर बाल धोने के बाद हल्के गीले बालों पर थोड़ी मात्रा लगाने से बालों की सहज चिकनी महसूस होती है और उलझन कम होती है।

गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थायी पीठ की मांग तेज, केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि: असम की बराक घाटी में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ स्थापित करने की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद सुभिता देव ने केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल को पत्र लिखकर इस दिशा में आवश्यक पहल करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यह बराक घाटी के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग है और इसे न्याय तक समान एवं सुगम पहुंच के व्यापक हित में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। सांसद सुभिता देव ने अपने पत्र में कहा कि बराक घाटी में उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की मांग किसी एक वर्ग या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह न्याय तक समान पहुंच, प्रशासनिक सुविधा और संतुलित क्षेत्रीय विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। उन्होंने कहा कि दशकों से इस क्षेत्र के वादकारियों, अधिवक्ताओं और आम नागरिकों को उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए गुवाहाटी की लंबी यात्रा करनी पड़ती है, जिससे समय और धन दोनों की



अतिरिक्त लागत उठानी पड़ती है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री का ध्यान बराक घाटी की भौगोलिक दूरी और कमजोर संपर्क व्यवस्था की ओर भी दिलाया। उनके अनुसार, काछार, हैलाकांडी, श्रीभूमि और दीमा हसाओ के लोगों को गुवाहाटी स्थित उच्च न्यायालय तक पहुंचने में कई व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सड़क एवं रेल संपर्क में व्यवधान, विशेषकर मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन जैसी परिस्थितियाँ, इस समस्या को और गंभीर बना देती हैं। सुभिता देव ने कहा कि इन परिस्थितियों का सीधा प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है जिन्हें

अपने मामलों की सुनवाई के लिए बार-बार गुवाहाटी जाना पड़ता है। लंबी दूरी की यात्रा और संपर्क संबंधी बाधाओं के कारण वादकारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है तथा न्यायिक कार्यवाही में भी व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। स्थित उच्च न्यायालय तक पहुंचने में कई वर्षों के दौरान हुए जनसांख्यिकीय, आर्थिक और संस्थागत विस्तार का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए मिनी सचिवालय की स्थापना तथा बराक वैली डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का गठन किया गया है। ऐसे में न्यायिक संस्थाओं तक पहुंच को

भी क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप मजबूत किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बराक घाटी में उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना पर वर्तमान परिस्थितियों और क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से वस्तुनिष्ठ विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। यह कदम न केवल न्याय तक पहुंच को आसान बनाएगा, बल्कि क्षेत्र में संवैधानिक शासन और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को भी मजबूत करेगा। सांसद सुभिता देव ने केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री से आग्रह किया कि बराक घाटी में उपयुक्त स्थान पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ स्थापित करने के प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई और संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि स्थायी पीठ की स्थापना से बराक घाटी के लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी तय करने की मजबूरी कम होगी और वादकारियों, अधिवक्ताओं तथा आम नागरिकों के लिए न्यायिक प्रक्रिया अधिक सुलभ एवं सुविधाजनक बन सकेगी।

डीजीपी ने लुधियाना में सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा

लुधियाना। आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने लुधियाना पुलिस लाईंस में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में लुधियाना के पुलिस आयुक्त स्वप्न शर्मा, लुधियाना रेंज के उपमहानिरीक्षक संदीप गोयल, खन्ना व जगाराओं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित क्षेत्र के सभी राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान पुलिस महानिदेशक को लुधियाना आयुक्तालय और लुधियाना रेंज में सुरक्षा संबंधी सूचनाओं, बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तथा पुलिस बल की तैनाती की जानकारी दी गई। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए। डीजीपी ने महत्वपूर्ण आवागमन स्थलों, रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक स्थानों पर चौबीसों घंटे गश्त बढ़ाने, अचानक नाकाबंदी और रणनीतिक तलाशी अभियान तेज करने को कहा। उन्होंने जिला खुफिया इकाइयों और राज्य की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच तत्काल सूचना साझा करने पर भी जोर दिया, ताकि संभावित सुरक्षा खतरों की समय रहते पहचान कर कार्रवाई की जा सके।

उपायुक्त हिमांशु जैन ने केंद्रीय व बोर्सटल जेल का किया निरीक्षण

कैदियों की समस्याएं सुनीं, तत्काल समाधान के लिए निर्देश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लुधियाना- कैदियों की भलाई, हेल्थ सुविधाओं और रहने के हालात का रिव्यू करने के मकसद से लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने आज सेंट्रल जेल और बोर्सटल जेल का पूरी तरह से इंस्पेक्शन किया। इस दौरान उन्होंने जेलों में कैदियों की दी जा रही बेसिक सुविधाओं, हेल्थ सेवाओं, साफ-सफाई के इंतजाम और रोजाना की जरूरतों का डिटेल में जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने जेल में कैदियों से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याएं और चिंताएं सुनीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कैदियों की जायज समस्याओं का तुरंत समाधान पक्का करने और जेल मैनेजमेंट में जरूरी सुधार लाने के निर्देश दिए। इंस्पेक्शन के दौरान रिहैबिलिटेशन और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी रिव्यू किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम और दूसरी कोशिशों का रिव्यू किया, जो कैदियों को रिहाई के बाद

इज्जतदार और आत्मनिर्भर जिंदगी जीने में मदद करने के लिए चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैदियों का सुधार और उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाना जेल मैनेजमेंट का मुख्य मकसद है। उन्होंने इन प्रोग्राम को और मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन से हर मुफकिन सहयोग और एडमिनिस्ट्रेटिव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि कैदियों के सफल रिहैबिलिटेशन, स्किल डेवलपमेंट और समाज में फिर से शामिल होने के लिए लगातार कोशिशें की जाएंगी।



12 करोड़ की लागत से बनी रड़ा-टाहली सड़क जनता को समर्पित

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

टांडा/होशियारपुर। उड्डमुड विधानसभा क्षेत्र के गांव रड़ा से टाहली तक 4.44 किलोमीटर लंबी संपर्क सड़क बनकर तैयार हो गई है। करीब 12 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस सड़क का उद्घाटन होशियारपुर के लोकसभा सदस्य डॉ. राज कुमार चन्नेवाल ने विधायक जसवीर सिंह राजा गिल और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में किया। सांसद डॉ. राज कुमार चन्नेवाल ने बताया कि करीब 4.44 किलोमीटर लंबी और 12 फीट 3 इंच चौड़ी इस सड़क के निर्माण पर लगभग 12 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

सड़क के साथ किनारों की ढलान सुरक्षा का कार्य भी किया गया है, जिससे इसकी मजबूती और टिकाऊपन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि गांवों को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराना क्षेत्र के समग्र विकास के लिए बेहद जरूरी है। रड़ा से टाहली तक नई सड़क बनने से आसपास के गांवों के



लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह सड़क क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करती है। सांसद ने कहा कि बेहतर परिवहन व्यवस्था लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक सुविधाओं तक आसानी से पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई सड़क से किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और आम लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश में करीब 45 हजार किलोमीटर ग्रामीण संपर्क सड़कों के सुधार का कार्य कर रही है। विधायक

जसवीर सिंह राजा गिल ने कहा कि सड़क निर्माण से क्षेत्रवासियों की बड़ी मांग पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार पूरे किए जाएंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सड़क के रखरखाव और निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इस अवसर पर क्षेत्र के विभिन्न गांवों के सरपंचों और लोगों ने सांसद डॉ. राज कुमार चन्नेवाल तथा विधायक जसवीर सिंह राजा गिल का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सड़क बनने से रड़ा, टाहली और आसपास के गांवों के लोगों का आवागमन सुगम होगा तथा क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। विधायक राजा गिल ने कहा कि आने वाले समय में क्षेत्र में आधारभूत ढांचे से जुड़े अन्य विकास कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा।

जुलूस-ए-मोहम्मदी के सदर का किया गया स्वागत



कोंच(जालौन)- नगर के सागर तालाब स्थित अस्ताना-ए-कलंदरिया पर जुलूस-ए-मोहम्मदी के सदर बनाए गए पालिका सभासद शमसुद्दीन मंसूरी को बेहतर स्वागत किया गया। इस दौरान तंजीम गुलामाने मुस्तफा कमेटी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने फूलमालाएं पहनाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और जुलूस-ए-मोहम्मदी की सफलता के लिए एकजुट होकर सहयोग करने का आह्वान किया। मंसूरी ने सभी लोगों से जुलूस के दौरान अनुशासन बनाए रखने और आपसी सौहार्द के साथ शामिल होने की अपील की। स्वागत समारोह के अंत में उपस्थित लोगों को मिष्ठान वितरित किया गया। तकिया के सज्जदानरशी आरिफ अली शाह, रहम इलाही कुरेशी, बशिर काजी, हाफिज अताउल्लाह गौरी, मुस्तकीम मंसूरी, काजी जाहिद, सईद अहमद खन्ना, सैफुल्लाह, शकील मकरानी, साजिद मंसूरी, नईम मंसूरी आदि मौजूद रहे।

स्मार्ट राशन कार्ड धारकों को चार माह का गेहूं लेना सुनिश्चित करने की अपील

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

फरीदकोट। पंजाब सरकार द्वारा स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत लाभार्थियों को जुलाई 2026 से अक्टूबर 2026 तक चार माह का गेहूं वितरित किया जा रहा है। जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले फरीदकोट गुरजीत सिंह देओल ने जिले के सभी लाभार्थियों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के संबंधित राशन डिपो से निर्धारित गेहूं प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि प्राथमिकता परिवार कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 20 किलोग्राम गेहूं, जबकि अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारकों को प्रति कार्ड प्रति माह 35 किलोग्राम गेहूं दिया जाएगा। लाभार्थी जुलाई से अक्टूबर 2026 तक चार माह का गेहूं अपने संबंधित राशन डिपो से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने लाभार्थियों को पारदर्शी तरीके से राशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना लागू की है। योजना के तहत कोई भी पात्र लाभार्थी गेहूं की सुविधा से



वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने सभी लाभार्थियों से अपने राशन कार्ड के अनुसार संबंधित राशन डिपो से गेहूं प्राप्त करने की अपील की। जिला नियंत्रक ने कहा कि यदि किसी लाभार्थी को गेहूं वितरण को लेकर किसी प्रकार की शिकायत या परेशानी होती है तो डिपो से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विभाग के निरीक्षक से संपर्क कर सकता है। विभाग को प्राप्त शिकायतों का नियमानुसार जांच कर उचित कार्रवाई के माध्यम से निपटारा किया जाएगा।

‘मिशन क्लीन पटियाला’ के तहत सफाई अभियान, स्रोत स्तर पर कचरा अलग करने की अपील

तीन दिन में पटियाला की सड़कों से 3.9 टन कचरा उठाया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पटियाला- पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने प्लानिफाइड कॉर्पोरेशन पटियाला के साथ मिलकर आज अपने जरूरी 'मिशन क्लीन पटियाला' कैम्पेन के तहत भूपिंद रोड और पासी रोड पर क्लीनिंग कैम्पेन चलाया। इस कैम्पेन में आवर लेडी ऑफ फातिमा कॉन्वेंट स्कूल और गवर्नमेंट मल्टीपर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। भूपिंद रोड मार्केट एसोसिएशन, मणिपाल हॉस्पिटल और 'मेरा पटियाला मैं ही स्वरा' वॉलंटरी सिटीजन ग्रुप की टीमों ने भी इसमें हिस्सा लिया। पासी रोड और भूपिंद रोड से 2,500 किलो कचरा अलग किया गया, जिससे इस कैम्पेन के तहत तीन दिनों में



साफ की गई सात बड़ी सड़कों से कुल 3,900 किलो कचरा इकठ्ठा हो गया। सफाई अभियान के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट में मदद के लिए नगर निगम और पटियाला ट्रैफिक पुलिस को धन्यवाद देते हुए, पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरपर्सन रीना गुप्ता ने कहा, 'आइए सफाई को एक नया सामाजिक नियम बनाएं। हम नागरिकों और सिविल सोसाइटी संगठनों से अपील करते हैं कि वे इस अभियान को लोगों के नेतृत्व वाले आंदोलन में बदलने के

लिए एक साथ आगे आएँ जो हर पीढ़ी को प्रेरित करें। अगर हर व्यक्ति हर महीने कुछ घंटे भी योगदान दे, तो हम सब मिलकर रहने के लिए एक साफ, स्वस्थ और बेहतर पंजाब बना सकते हैं।' पंजाब को भारत का सबसे साफ राज्य बनाने के लिए सभी को प्रेरित करते हुए, चेयरपर्सन ने लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पंजाब के लोगों से अपील की कि वे ठोस कचरे को सोर्स-लेवल पर अलग-अलग करें और उसका सही तरीके से निपटारा करें। गुप्ता

सिलापथार में राज्य सरकार के कृति शिक्षक का सम्मान से सम्मानित शिक्षाविद का निधन



स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

धेमाजी असम। गोपाल चंद्र देव जिनका नाम ही एक परिचय बताया जा रहा है।धेमाजी जिले के सिलापथार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भैरवपुर नेताजी मध्य इंड्री विद्यालय के सेवानिवृत्त प्रधान शिक्षक गोपाल चंद्र देव की मौत की खबर ने इलाके में शोक की माहौल है। गोपाल चंद्र देव का जन्म 1959 में गुवाहाटी

के काला पहाड़ रेलवे क्वार्टर में हुआ था। उनके पिता नागेंद्र देव रेलवे डिपार्टमेंट के कर्मचारी थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई जमीरोड में पूरी की और 1976 में लंका नेताजी हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। उन्होंने कॉटन कॉलेज, गुवाहाटी से 1978 में कृष्ण की परीक्षा पास की। उन्होंने 1979 में नेताजी मिडिल इंग्लिश स्कूल, भैरवपुर में साइंस टीचर के तौर पर अपना करियर शुरू किया और धेमाजी कॉलेज से डिस्टिक्शन के साथ बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। 1979-2004 से उसी स्कूल के हेडमास्टर के पद पर कार्यभार संचालित उन्होंने 2013 में डिस्टिक्टेड मेट्रियोरेयस संचालित अर्वाई और 2013 में स्ट्रेट मेट्रियोरेयस टीचर अर्वाई से सम्मानित किया गया। 2018 तक हेड टीचर के तौर पर काम करने के बाद 30 नवंबर को ऑफिशियली रिटायर हुए ।

शिक्षक देव ने दो खास इवेंट्स किए, ऑनस्ट्री बॉक्स, जिसमें स्कूल में घूम हुये चीजें जो जाने थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई जमीरोड में पूरी की और 1976 में लंका नेताजी हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। उन्होंने कॉटन कॉलेज, गुवाहाटी से 1978 में कृष्ण की परीक्षा पास की। उन्होंने 1979 में नेताजी मिडिल इंग्लिश स्कूल, भैरवपुर में साइंस टीचर के तौर पर अपना करियर शुरू किया और धेमाजी कॉलेज से डिस्टिक्शन के साथ बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। 1979-2004 से उसी स्कूल के हेडमास्टर के पद पर कार्यभार संचालित उन्होंने 2013 में डिस्टिक्टेड मेट्रियोरेयस संचालित अर्वाई और 2013 में स्ट्रेट मेट्रियोरेयस टीचर अर्वाई से सम्मानित किया गया। 2018 तक हेड टीचर के तौर पर काम करने के बाद 30 नवंबर को ऑफिशियली रिटायर हुए ।

में शामिल थे। 9 अगस्त को रात 10.45 बजे हाई प्रेशर की कारण मेडिकल ले जाते समय उनका निधन हो गया। सिलापथार के उनके निजी ग्राम उनके चाहने वाले उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने और गमगीन माहौल में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े। दोपहर के करीब 12 बजे उनका का पार्थिव शरीर सिलापथार में उनके घर से भैरवपुर नेताजी मिडिल इंग्लिश स्कूल लाया गया। स्कूल कैम्पस में स्टूडेंट्स और स्कूल ऑथॉरिटीज को आखिरी श्रद्धांजलि देने के बाद, उनका अंतिम संस्कार पूव बालीगांव में किया गया। उनके निधन पर सिलापथार में शोक का माहौल है, विभिन्न दल संसदों ने उनका निधन पर गहरी शोक व्यक्त किया। 69 साल की उम्र में उनका निधन हुवे देव ने संसार में अपनी पत्नी और दो बेटियों को छोड़ गए।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं सफदरजंग अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली साउथ ईस्ट ने अस्पताल को गोल्फ कार्ट भेंट की। शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में इसका औपचारिक हस्तांतरण किया गया।गोल्फ कार्ट का इस्तेमाल अस्पताल परिसर में मरीजों, बुजुर्गों, दिव्यांगों और उनके साथ आने वाले तीमारदारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। इससे अस्पताल के बड़े परिसर में आने-जाने के दौरान मरीजों को होने वाली परेशानी कम होगी और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान होगी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारत सरकार



की पूर्व विदेश एवं संस्कृति राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संस्थानों और उनके साथ आने वाले तीमारदारों को एक सेवाओं को मजबूत करने के साथ मरीजों के लिए सुविधाएं और अधिक सुलभ बनाई जा सकती हैं।अस्पताल की निदेशक डॉ. होने वाली परेशानी कम होगी और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान होगी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारत सरकार

बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में मदद मिलती है। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. चारु बंबा ने भी क्लब के योगदान की सराहना की और इसे मरीजों के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में उपयोगी पहल बताया।रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली साउथ ईस्ट के अध्यक्ष रवि गर्ग ने कहा कि क्लब समाज की सेवा के लिए सार्थक पहल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उम्मीद जताई कि गोल्फ कार्ट से अस्पताल आने वाले मरीजों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।कार्यक्रम में रोटरी क्लब के सामुदायिक सेवा निदेशक अरुण गुप्ता, क्लब के अन्य प्रतिनिधि, अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. चारु बंबा, वरिष्ठ अधिकारी, सीएसआर समिति के सदस्य, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी और अन्य आमंत्रित अतिथि मौजूद रहे।